PARIPEX - INDIAN JOURNAL OF RESEARCH | Volume-8 | Issue-6 | June-2019 | PRINT ISSN No. 2250 - 1991

ORIGINAL RESEARCH PAPER | Law

इंदौर जिले का आपराधिक प्रतिरुपः एक भौगोलिक अध्ययन

KEY WORDS:

संगीता सिंह एव द्वारा श्री हेमन्त सिंह व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 सिविल कोर्ट सिरोंज जिला विदिशा म.प्र.

डॉ. शैलेन्द्र सिंह तोमर द्वारा श्री हेमन्त सिंह व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 सिविल कोर्ट सिरोंज जिला विदिशा म.प्र.

– संगीता सिंह

प्रकृति सृजित प्राणियों में मनुष्य सर्वाधिक विकसित प्राणी है। मनुष्य ने अपनी मेधा के बल पर समूह, समुदाय, समाज, गांव, शहरों का गठन तो किया ही है, राज्य की व्यवस्था कर उसकी विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों का भी गठन किया है। मनुष्य किसी से शासित है तो स्वशासित भी है। मनुष्य जहां अनुशासित प्राणी है, तो उसमें स्वभावगत उच्छृंखलता भी है। मनुष्य का सर्वांगीण विकास और समग्र हित चिंतन, प्रबंधन राज्य का दायित्व होता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, भरण–पोषण, आर्थिक विकास के साथ साथ नागरिक की सम्पूर्ण सुरक्षा भी राज्य के ही जिम्मे होता है। मनुष्य अपराध करता है, कारण मानसिक, सामाजिक, आर्थिक या अन्य कई हो सकते हैं। यदि अपराधों पर नियंत्रण न किया जाए तो विकास, उन्नयन का ताना–बाना छिन्न भिन्न हो जाता है, सामाजिक ढांचा भी ध्वस्त होने लगता है।

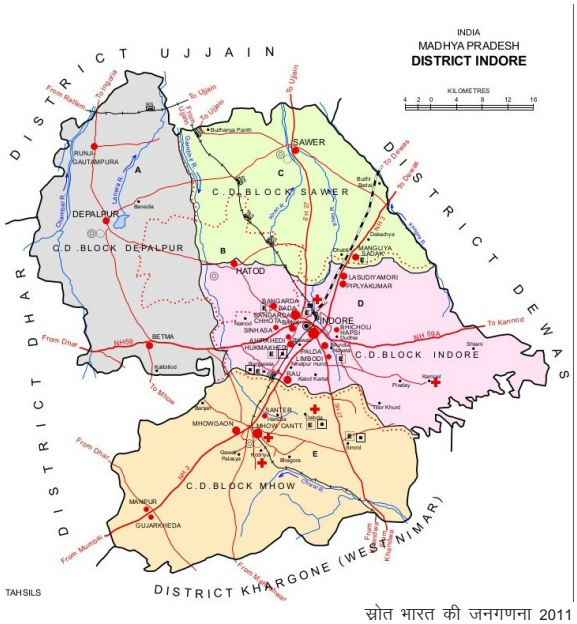

स्रोत भारत की जनगणना 2011

इस शोध पत्र के अध्ययन का क्षेत्र इंदौर शहर के साथ साथ संपूर्ण इंदौर जिला है। यह जिला मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में मालवा के पठार के दक्षिणी सिरे पर 22.2 डिग्री से 23.05 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 75.25 डिग्री से 76.16 डिग्री पूर्वी देशांतर तक विस्तीर्ण है। जिले का कुल क्षेत्रफल 3898 वर्ग किमी है। जिले की समुद्र तल से औसत उंचाई 553 मीटर है। जिले में चंबल, गंभीर, खान, क्षिप्रा और चोरल कुल पांच नदियां हैं। यहां मुख्य रूप से काली और लेटेराइट प्रकार की मिट्टियां मिलती हैं। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 32,79,697 है। जिसमें शहरी जनसंख्या 24,27,709 तथा ग्रामीण जनसंख्या 8,48,988 है। यहां लिंगानुपात 924 है, जबकि साक्षरता 80.87 प्रतिशत है।

यद्यपि पूरे जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपराध होते हैं पर तेजी से विकसित हो रहे इंदौर शहर में प्रायः हर प्रकार के अपराध दृष्टि गोचर होते हैं। इन्दौर जनसंख्या की दृष्टि से भारत के मध्यप्रदेश राज्य का सबसे बडा शहर है। यह इन्दौर जिला और इंदौर संभाग दोनों के मुख्यालय के रूप में कार्य करता है। इंदौर मध्यप्रदेश राज्य की वाणिज्यिक राजधानी भी है।

जहां तक अपराध प्रतिरूपों का प्रश्न है, तो सबसे पहले एक अखबार की एक रिपोर्ट ध्यातव्य है– ''मध्यप्रदेश में अपराध का ग्राफ यदि किसी शहर के कारण बढ रहा है तो वह सिर्फ इंदौर है। यह खुलासा हुआ है मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा जारी वर्ष 2015 में हुए अपराध के आंकडों से पिछले साल प्रदेश में कुल 2 लाख 70 हजार 300 अपराध दर्ज किए गए। इसमें से 23 हजार 465 अपराध अकेले इंदौर में हुए हैं। यही नहीं, संगीन अपराधों में भी इंदौर टॉप पर है। पुलिस ने हत्या, हत्या के प्रयास, दुष्कर्म, अपहरण व महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे 13 प्रकरणों की जिलेवार सूची तैयारी की थी। इनमें से इंदौर सात मामलों में आगे है। गंभीर अपराधों के मामले में राजधानी किसी भी अन्य शहर के मुकाबले में अभी तक शांत है........................ (अपराधों में अव्वल इंदौर)

हत्या व हत्या के प्रयास : वर्ष 2015 में में प्रदेशभर में हत्या के 2339 मामले दर्ज किए गए। इसमें इंदौर 99 हत्याओं के साथ सबसे ऊपर है। यही हाल हत्या के प्रयास के मामलों में भी है। प्रदेशभर में हत्या के प्रयास के 2507 मामले दर्ज हुए तो इंदौर जिले में 251 मामले दर्ज किए गए।

दुष्कर्म व अपहरणः दुष्कर्म व अपहरण के मामले में भी सर्वाधिक इंदौर जिले में दर्ज हुए। प्रदेश भर में जहां इनकी संख्या 5071 है तो अकेले इंदौर में 257 दुष्कर्म के मामले दर्ज हुए। अपहरण के भी 6792 मामलों में 547 मामले इंदौर जिले के सामने आए। दोनों ही आंकडे यह बताते हैं कि प्रदेश में इंदौर जिले में महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित है।

लूट व आगजनी : लूट के वर्ष 2015 में प्रदेशभर में 1836 प्रकरण दर्ज किए। इनमें भी सबसे ज्यादा प्रकरण 291 इंदौर जिले के ही थे। जरा–जरा सी बात पर आगजनी जैसी घटनाओं को अंजाम देने के मामलों में भी 71 मामलों के साथ टॉप पर इंदौर जिला है। आगजनी के प्रदेशभर में कुल 834 प्रकरण दर्ज किए गए थे।

महिलाओं के विरूद्ध अपराधः इस मामले में भी इंदौर जिला टॉप पर है। प्रदेशभर में जहां 25 हजार 731 मामले दर्ज हुए हैं तो इनमें 1455 इंदौर जिले के हैं। वहीं पुलिस हिरासत में मौत के वर्ष 2015 में जहां सात मामले हुए, उसमें एक मौत इंदौर पुलिस की हिरासत में हुई। हालांकि इस मामले में शिवपुरी और खंडवा आगे हैं, जहां दो–दो मौतें हुई हैं।'' (तमजतपमअमक तिवउ रू्ण्ड़ीवचंसेंउंबीतण्बवउ 2016ध्04 (अमित देशमुख/भोपाल))

वर्ष 2015 में इंदौर जिले में हुए अपराधों का विहंगावलोकन निम्नलिखित तालिका में है–

क्र.	शीर्ष	अपराध	संख्या
1	भा.द.सं. अपराध	हत्या	99
		हत्या का प्रयास	251
		सदोष मानव वध	03
		बलात्कार	99
		अपहरण	538
		डकैती	09
		डकैती की तैयारी	15
		लूट	291
		बलवा	95
		आगजनी	71
		दहेज हत्या	27
		अन्य भा.द.सं. अपराध	21697
		कुल भा.द.सं. अपराध	23195
2	विशेष एवम स्थानीय अधिनियम के अपराध		4633
3.	दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्यवाही	धारा 110	3187
		धारा 109	01
		धारा 107/116	10882
		रासुका	100
		जिला बदर	177
		धारा 151	8182
		द.प्र.सं. के तहत योग	22529
4.	संपत्ति संबंधी अपराध	संपत्ति अपराधों की पतारसी	19.89
		संपत्ति बरामदगी	13.22

ये आंकडे जिले की कोई अच्छी तस्वीर प्रस्तुत नहीं करते हैं। हालांकि प्रशासन का दावा है कि पिछले सालों की तुलना में कतिपय अपराधों में कमी आयी है पर प्रबंधन भी इस तथ्य को स्वीकार करने की स्थिति में है कि कतिपय अपराधों का स्वरूप बदल गया है और पुलिस तथा अपराधियों के बीच यह कहावत चरितार्थ हो रही है कि तुम डाल डाल हम पात पात। एक नया अपराध सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार के साथ पनपा है– सायबर अपराध। इसकी धमक महिला अपराध से लेकर आर्थिक धोखधडी में अधिक सुनाई देती है। संचार माध्यम, चौथे स्तंभ कहे जाते हैं जो प्रबंधन और समाज को प्रबंधन की आईना दिखाते हैं। अतः अखबारों में प्रकाशित यह समाचार दृष्टव्य है –

''प्रदेश में अपराधों का ग्राफ यूं तो कई शहरों में चढ रहा है, लेकिन संगीन अपराधों के मामले में इंदौर के 31 में से पांच थाने ऐसे हैं जहां हो रहे अपराध पूरे प्रदेश का ग्राफ बढा रहे हैं। प्रदेश में पिछले साल 1000 से ज्यादा अपराध दर्ज होने वाले 12 शहरों के थानों में इंदौर के विजयनगर (1284), राजेन्द्र नगर (1172), चंदननगर (1148), लसूडिया (1122), व बाणगंगा (1039) शामिल हैं।'' (संदर्भः नई दुनिया इंदौर 13 मार्च 2016)

''12 माह, 98 हत्या, 191 लूट, हर अपराध में पश्चिम आगे। इंदौर वर्ष 2015 में हत्या के 98 मामले दर्ज हुए, जिसमें 61 केस पश्चिम क्षेत्र के थे। आंकडों के मुताबिक हर अपराध में पश्चिम क्षेत्र आगे हैं। हालांकि दो साल की तुलना में इस वर्ष अपराधों में कमी आई है। चेन स्नेचिंग और चोरी जैसी वारदातों पर अंकुश लगा है।''

(नई दुनिया इंदौर 01 जून 2016)

''मध्य प्रदेश में नाबालिगों द्वारा किए जाने वाले अपराध के एक–दो नहीं, बल्कि हजारों मामले हैं, जिसमें हत्या, दुष्कर्म और चोरी जैसे संगीन अपराध में वे लिप्त पाए गए। मध्यप्रदेश में नाबालिगों के अपराध में शामिल होने के 18,000 से ज्यादा मामले वर्ष 2012 से 14 के बीच में सामने आए हैं जो कि देश में सबसे ज्यादा हैं। चिंताजनक यह है कि संभ्रांत घरों के बच्चे भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के मामले बढे हैं।''

(नई दुनिया दिनांक 15.02.2016)

कब कितनी वारदातें–

अपराध	वर्ष 2013	वर्ष 2014	वर्ष 2015
हत्या	105	115	98
लूट	129	171	191
चोरी	1542	1734	1720
चेन लूट	95	146	100
हत्या का प्रयास	213	220	249
वाहन चोरी	4315	4756	4305

स्रोत म.प्र. राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो

अपराधों के कारकों का विवेचन करने से पहले यहां इंदौर जिले में पिछले पांच सालों में घटित अपराधों का तुलनात्मक विवरण देख लेना समीचीन है–

इंदौर जिले में सन् 2011 से 2015 तक घटित मुख्य अपराधों की तुलनात्मक स्थिति– (तालिका 4)

अध्ययन क्षेत्र इंदौर जिले में मुख्य अपराधों की स्थिति वर्ष 2015

क्र.	अपराध शीर्ष		वर्ष 2011	वर्ष 2012	वर्ष 2013	वर्ष 2014	वर्ष 2015	वर्ष 15 की तुलना में 11	वर्ष 15 की तुलना में 12	वर्ष 15 की तुलना में 13	वर्ष 15 की तुलना में 14
1	भा.द.सं. अपराध	हत्या	135	123	106	115	99	26.67	19.51	6.6	13.19
		हत्या का प्रयास	137	172	215	220	251	82.21	45.93	16.74	14.09
		सदोष मानव वध	04	03	10	03	03	25	0	70	0
		बलात्कार	129	173	190	261	99	23.25	42.77	47.98	62.07
		अपहरण	66	54	398	507	538	715.15	896.29	35.18	6.11
		डकैती	03	04	04	03	09	200	125	125	200
		डकैती की तैयारी	11	05	03	03	15	36.36	200	400	400
		लूट	219	275	224	317	291	32.87	5.81	29.91	8.20
		बल्वा	116	82	84	82	95	18.10	15.85	13.10	15.85
		आगजनी	41	64	53	49	71	73.17	10.93	33.96	44.90
		दहेज हत्या	41	24	31	37	27	34.15	12.5	12.90	27.03
		अन्य भादसं. अपराध	8884	20112	20931	22395	21694	23.51	7.88	3.66	3.12
		कुल भादसं. अपराध	18569	21091	22249	23992	23195	24.91	9.98	4.25	3.32
2	विशेष एवं स्थानीय अधिनियम	4599	4367	4590	4031	4633	0.74	6.09	0.94	14.93	
3.	दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही	धारा 110	2636	3127	5696	3969	3187	20.90	1.92	44.05	19.70
		धारा 109	1774	1080	189	09	01	99.94	99.9	99.47	8889
		धारा 107/116	13668	11871	16186	11268	10822	20.38	8.33	32.77	3.43
		रा.सु.का.	175	59	35	29	100	42.86	69.49	185.71	244.83
		जिला बदर	227	302	271	111	177	22.02	41.39	34.69	59.46
		धारा 151	5709	5912	6633	5269	8182	43.32	38.40	23.35	55.29
		कुल द.प्र.सं. कार्यवाही	24189	22351	29010	20655	22529	6.86	0.80	22.34	9.07
4	संपत्ति संबंधी अपराध	संपत्ति की पतारसी प्रतिशत में	20.49	16.64	14.98	15.63	19.89	2.93	19.53	15.63	19.89
		संम्पत्ति बरामगदगी प्रतिशत में	26.67	34.61	20.91	32.92	13.22	50.43	61.80	32.92	13.22

स्रोत म.प्र. राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो

इंदौर जिले में अपराधों के कारक :–

(1) जैविक या प्राणिशास्त्रीय कारक :– आयु, लिंग, शारीरिक दोष, प्रजाति तथा जन्म स्थान, वंशानुक्रम आदि।
(2) मनोवैज्ञानिक कारक :– मानसिक कमी, मानसिक रोग, संवेगात्मक अस्थिरता और संघर्ष, नैतिक पतन आदि।
(3) पारिवारिक कारक :– वैवाहिक स्तर, टूटे या भग्न परिवार, अनुशासन का अभाव आदि।
(4) सामाजिक कारक :– कुरीतियां, सांस्कृतिक संघर्ष, टीवी और चलचित्र, सामाजिक धारणाएं एवं मूल्य, सामाजिक विघटन, गंदी बस्तियां, शिक्षा, दूषित कारागार व्यवस्था आदि।
(5) भौगोलिक और पर्यावरणीय कारक :– धरातल की बनावट, अपवाह तंत्र, जलवायु (वर्षा, ताप आदि) भूमि की उत्पादकता, प्राकृतिक संसाधन, घाटियां, बस्तियों की दशाएं आदि।
(6) आर्थिक कारक :– आर्थिक स्थिति, व्यापारिक स्थिति, कम मजदूरी या बेरोजगारी, निर्धनता, नगरीकरण, औद्योगीकरण, व्यावसायिक मनोरंजन आदि।
(7) कमजोर प्रशासन/पुलिस प्रबंधन :– कर्तव्य निर्वहन में पुलिस की उदासीनता, राजनीतिक हस्तक्षेप, पुलिस पेट्रोलिंग में अपर्याप्तता, आरक्षकों की डयूटी में लापरवाही, अवैध वसूली आदि।

उपर्युक्त तमाम कारकों में से शोध पत्र के विषय के अनुरूप यहां निम्नलिखित कारकों का विवेचन समीचीन है।

भौगोलिक और पर्यावरणीय कारकः–

यह निर्विवाद सत्य है कि मानव जीवन पर स्थान, मौसम और जलवायु का सीधा प्रभाव पड़ता है, परिणामतः मनुष्य के स्वभाव, प्रकृति और व्यवहार में काफी बदलाव आता है। इनके प्रभाव से उसकी शरीरिक और मानसिक शक्ति प्रभावित होती है साथ ही उसकी प्रवृत्ति और उसके कार्य–व्यवहार भी प्रभावित होते हैं। आर्थिक भूगोल को निश्चित रूप से मानव जीवन को बदल कर रख देता है। सत्य में यह कहावत चरितार्थ होने लगती है–बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रूपैया।

अस्तु भौगोलिक कारकों को यहां दो भागों में विश्लेषित करना समीचीन होगा।

(अ) भौतिक एवं पर्यावरण कारक
(ब) आर्थिक कारक।

(अ) भौतिक एवं पर्यावरण संबंधी कारक :–

भौतिक और पर्यावरणीय कारकों में धरातल की बनावट (स्ंदक ैजतनबजनतम), घाटियां (ंअपदमे) जलवायु, अपवाह तंत्र, प्राकृतिक संसाधन (वन खनिज आदि), भूमि की उर्वरता आदि आते हैं।

विद्वानों का मत है कि स्थान की स्थिति और बनावट से अपराधी का व्यवहार प्रभावित होता है। लोंबरोसो का आकलन है कि व्यक्ति के विरूद्ध होने वाले अपराध मैदानी क्षेत्रों में सबसे कम, पठारी क्षेत्रों में उससे कुछ अधिक और पहाड़ी क्षेत्रों में सर्वाधिक होते हैं। इसी प्रकार मान्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक 'स्पिरिट ऑफ लॉज' यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया है कि हम ज्यों ज्यों भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं त्यों त्यों अपराध की दर बढ़ती जाती है तथा इसके विपरीत ज्यों ज्यों उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे मद्य सेवन अधिक पाया जाता है। कुछ विद्वानों का मत है कि भूमध्य रेखा से दूर होने पर संपत्ति संबंधी अपराधों में अधिकता और शरीर संबंधी अपराधों में कमी देखी जाती है। कुछ विचारकों का मानना है कि समुद्र के किनारे वाले स्थानों पर अपराध अधिक होते हैं। क्वेटलेट का निष्कर्ष है कि गर्म जलवायु प्रधान क्षेत्रों में 'व्यक्ति के प्रति अपराध' और 'हिंसक अपराध' अधिक जबकि ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों में 'संपत्ति के प्रति अपराध' अधिक देखे गए हैं।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है। विद्वानों द्वारा यहां का आम अनुभव यह किया गया है कि जब कृषि उपज अधिक होती है तो अपराधों में कमी आती है और पैदावार न्यून होने से या फसल बिगड़ जाने से अपराधों में बढोत्तरी हो जाती है। यह भी कि सर्दियों की ऋतु में व्यक्तियों का आवागमन कम रहता है, परस्पर संपर्क घटता है अतः व्यक्ति के विरूद्ध होने वाले अपराधों में कमी हो जाती है।

एक निष्कर्ष यह भी है कि ''भारत के भूगोलिक वातावरण में जुलाई के मध्य में हत्या व दंगे, सितम्बर से जनवरी माह में डकैती व बलात्कार के अपराध अधिक होते हैं। विवाहित महिलाएं शीतऋतु में अधिक आत्म हत्या करती हैं, अविवाहित पुरूष बसंत तथा वर्षा ऋतु में, तथा विद्यार्थी व बेरोजगार व्यक्ति अप्रैल से जुलाई के बीच आत्म हत्या अधिक करते हैं।''

लकेसन ने तो बाकायदा एक अपराधी कलेंडर बनाया है जिसमें भौगोलिक पर्यावरण और अपराध का सम्बंध स्पष्ट किया गया है–

क्र.	अपराध की प्रकृति	मौसम
1.	भ्रूण हत्या	जून से अप्रैल
2.	हत्या और गंभीर अपराध जुलाई	जुलाई
3.	पित्र हत्या	जनवरी, अक्टूबर
4.	प्रौढ़ों में बलात्कार	जुलाई, अगस्त
5.	युवकों में बलात्कार	जून
6.	संपत्ति सम्बन्धी अपराध	सितम्बर, जनवरी
7.	व्यक्ति के विरूद्ध अपराध	मई, जून

अध्ययन क्षेत्र इंदौर जिला मालवा के पठार पर विस्तीर्ण है। धरातल के आधार पर अपराधों की कोई विशेष प्रवृत्ति यहां देखने को नहीं मिलती है। मौसम आधारित अपराध प्रवृत्ति के लिए यह तालिका दृष्टव्य है :–

तालिका–7
मौसम आधारित अपराध प्रवृत्ति

माह	हत्या	हत्या का प्रयास	डकैती	डकैती की योजना	लूट Robbery	किडनैपिंग					सेंधमारी (House Breaking)	चोरी Theft	पशु चोरी	Rape	Riot	molestation	Other IPC	Total IPC	Property	
						Ransom	Begging	W/G	Other	Total									Stolen	Recovered
जनवरी	6	20	0	0	20	0	0	33	8	41	128	493	3	8	10	37	1010	1776	21128400	2494750
फरवरी	9	12	1	0	36	0	0	41	11	52	150	500	1	16	7	27	1139	1950	23447209	4721670
मार्च	14	38	0	0	31	0	0	45	8	53	114	532	0	17	4	44	1266	2113	21235475	4574660
अप्रैल	10	37	0	1	42	0	0	32	13	45	112	680	4	18	8	42	1283	2282	38346288	5086439
मई	11	30	1	1	33	0	0	51	15	66	133	628	2	30	10	38	1361	2344	24436117	3134705
जून	6	17	0	2	28	0	0	57	22	79	112	536	0	20	11	44	1318	2173	24083443	4854900
जुलाई	4	19	3	2	25	0	0	38	27	65	130	445	3	25	6	36	1176	1938	19477916	2395800
अगस्त	6	15	0	2	22	0	0	28	11	39	117	407	6	15	8	42	1075	1754	16730738	4945570
सितम्बर	8	13	1	0	19	0	0	26	25	51	102	437	4	18	8	41	1051	1753	20410550	2892900
अक्टूबर	11	16	0	2	13	0	0	26	14	40	95	528	4	17	8	53	1290	2077	20799220	5689970
नवम्बर	11	11	0	3	15	4	0	34	7	41	79	458	2	10	4	35	1189	1862	16491768	2954820
दिसम्बर	2	11	0	2	8	0	0	15	9	24	85	383	0	11	5	29	883	1443	27375076	6080090

स्रोत म.प्र. राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो

तालिका के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपराध पर मौसम के प्रभाव सम्बन्धी विद्वानों के जो आकलन हैं वे अध्ययन क्षेत्र इंदौर में भी दृष्टिगोचर हो रहे हैं। वर्ष 2015 में जिले में गर्मी के मौसम (मार्च से जून) में हत्या के 41, हत्या के प्रयास के 122, अपहरण के 243, बलात्कार के 85 और छेड़छाड़ के 168 मामले हुए जिससे व्यक्ति सम्बन्धी कुल अपराध 659 हुए हैं। जबकि यही अपराध शीत ऋतु (नवम्बर से फरवरी) में क्रमशः 28 (हत्या), 40 (हत्या का प्रयास), 158 (अपहरण), 45 (बलात्कार), 128 (छेड़छाड़) कुल 399 ही दर्ज हुए हैं। इससे प्रकट होता है कि शीत ऋतु की तुलना में ग्रीष्म ऋतु में व्यक्ति सम्बन्धी अपराधों की प्रवृत्ति अधिक सक्रिय होती है। इसी तालिका में यह भी परिलक्षित होता है कि शीत ऋतु में व्यक्ति सम्बन्धी अपराधों की तुलना में संपत्ति सम्बन्धी अपराध अधिक होते हैं। समीक्ष्य तालिका में इंदौर जिले में वर्ष 2015 में शीत ऋतु में डकैती के 1, डकैती की योजना में 5, लूट के 79, सेंधमारी के 442, चोरी के 1834 मामले पाए गए हैं। संपत्ति सम्बन्धी कुल अपराधों की संख्या 2361 है, जो विवेच्य वर्ष में शीत ऋतु में व्यक्ति सम्बन्धी अपराधों की अपेक्षा अधिक है।

(ब) आर्थिक कारक :–

अपराध के लिए आर्थिक कारण सर्वाधिक जिम्मेदार होते हैं। ऐसा कहने में कोई अतिश्योक्ति नहीं है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हर अपराध के मूल में किसी न किसी रूप में अर्थ (आर्थिक कारक) ही विद्यमान रहता है। अरस्तू लिखते है– ''स्वर्ण या धन की लालसा ही अपराधों का मूल कारण होता है। अधिकांश अपराध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए न होकर अतिरिक्त धन या वस्तुएं प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं।''

विद्वान बकारिया कहते हैं ''निर्धनता, भुखमरी के कारण मनुष्य के व्यक्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वह निराशा ताथा हतोत्साह के कारण अपराध करने को विवश हो जाता है।'' टेफ्ट का मत भी आर्थिक कारक के प्रभाव के प्रत्यय की पुष्टि करता है– ''मनुष्य में अपने सामाजिक स्तर के अनुसार भौतिक वस्तुएं जुटाने में असमर्थ रहने पर आर्थिक हीनता का भाव निर्मित होता है। यदि वह वैधानिक साधनों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ रहता है तो वह अवसर पाकर अपराध द्वारा इनकी पूर्ति करने में लग जाता है।''

अपराधशास्त्री डॉ मणीन्द्र कुमार तिवारी, डॉ इति तिवारी और श्री रमेश चन्द्र यादव का मत है– ''अर्थ समस्त झगड़ों की जड़ है। स्वार्थ, लोभ, लालच, प्रलोभन आदि सभी अर्थ के कारक हैं, यही अपराधों के जनक हैं। आज मानव येन केन प्रकारेण अधिकाधिक धन अर्जित करना चाहता है। उसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार है। जिसके पास धनाभाव है वह जीवकोपार्जन के लिए पर्याप्त धन चाहता है तो जिसके पास थोड़ा बहुत धन है वह अधिक धनी बनना चाहता है। (इसीलिए वह अपराध की ओर प्रवृत्त होता है)''

अपराध के आर्थिक कारकों को दो रूपों में समझना उचित होगा।

सामान्य आर्थिक कारक –

इनमें व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, व्यापारिक स्थिति, कम मजदूरी या बेरोजगारी, निर्धनता, व्यावसायिक मनोरंजन आदि कारकों पर विचार करना है। इन आर्थिक कारकों की ध्यातव्य विशेषता यह है कि यहां अर्थ का अभाव भी अपराध के लिए प्रेरित करता है तो इसका आधिक्य भी अपराध की प्रवृत्ति को पनपाता है। अभाव में व्यक्ति चोरी, डकैती, लूटमारी, सेंधमारी, छल, कपट, जुआ, शराबखोरी, वेश्यावृत्ति आदि जैसे अपराध करता है। जिसके पास धन है वे एक ओर तो अधिक धनी बनने की लालसा के कारण और उसमें विलासिता के जीवन की लालसा बढ़ जाने के कारण तरह तरह के अपराधों में लिप्त हो जाते हैं।

एक शोध में विचाराधीन कैदियों का सर्वेक्षण किया गया और अपराध के आर्थिक कारकों की पड़ताल की गई–

क्र.	आर्थिक कारक या स्थितियां	विचाराधीन बंदियों के विचार	
		सहमत	असहमत
1.	आर्थिक विपन्नता	135 (45 प्रतिशत)	165 (55 प्रतिशत)
2.	आर्थिक सपन्नता	45 (15 प्रतिशत)	255 (85 प्रतिशत)
3.	बेरोजगारी	225 (55 प्रतिशत)	75 (25 प्रतिशत)

किसी शायर ने ठीक कहा है–
''पैसा खुदा तो नहीं, मां कसम खुदा से कम भी नहीं।''

अध्ययन क्षेत्र इंदौर जिले में आर्थिक कारकों के कारण होने वाले अपराध लूट, डकैती, डकैती की योजना, चोरी, सेंधमारी और पशु चोरी के वर्ष 2015 में 7726 अपराध दर्ज होना पाया गया है। स्पष्ट है कि इंदौर जिल में होने वाले अपराधों में आर्थिक कारक प्रभावी रूप से विद्यमान है।

नगरीकरण और औद्योगीकरण –

भारत अपने मूल स्वभाव में गांवों का देश है। देखने मे आया है कि स्वतंत्रता के बाद यहां शिक्षा, औद्योगीकरण आदि कारणों से अत्यंत तेजी से नगरीकरण हुआ है। नगरीकरण के कुछ भयावह दोष हैं, जिनमें प्रमुख है झुग्गी–झोपडियों या मलिन बस्तियों का फैलाव। गांव से गरीब, भूमिहीन, अनपढ़, बेरोजगार रोजगार की तलाश में शहर में आते हैं और यहां झुग्गी–झोपड़ियां बनाकर बस जाते हैं। बेरोजगारी, गरीबी, निम्न रहन–सहन आदि अनेक कारणों से इनमें चोरी, जेबकतरी, शराबखोरी, वेश्यावृत्ति जैसे अपराध पनप जाते हैं। कुछ प्रभावशाली अपराधी इन बस्तियों के लोगों, बच्चों का इस्तेमाल तस्करी, कालाबाजारी जैसे अपराधों में भी करने लगते हैं। धन की मारामारी, वैभव की चकचौन्ध में शहरों में आभिजात्य वर्ग के युवा भी तरह तरह के अपराधों में शामिल होते देखे जाते हैं। आलोच्य क्षेत्र में इस प्रवृत्ति की झलक अखबार के इर उदाहरण से स्पष्ट होती है।

''चिंता जनक यह है कि संभ्रांत घरों के बच्चे भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के मामले बढ़े हैं।''

(नई दुनिया दिनांक 15.02.2016)

नगरीकरण और तेजी से हो रहे औद्योगीकरण के कारण शहरों में मकानों की आवश्यकता हुई, जिससे रियल इस्टेट का व्यवसाय पनपा। जनसंख्या पढ़ी जिससे शिक्षा का व्यवसाय बढ़ा। यातायात बढ़ा उनके संसाधन बढ़े और ऐसे ही अनेक कारणों से यहां तरह तरह के अपराधी माफिया पनपे। जिला इंदौर में ऐसे कई अपराधी गिरोह सक्रिय हैं जो माफियागीरी करते हैं। दैनिक भास्कर समाचार पत्र के एक रपट का सार है कि इंदौर में 25 से ज्यादा गिरोह सक्रिय हैं ये शहर में अपराधियों के संगठित गिरोह हैं। इनमें से 15 गिरोह के सरगना राजनेताओं से जुड़े हैं।

अध्ययन क्षेत्र में वर्ष 2015 में घटित अपराधों का मध्यप्रदेश अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा संधारित आंकड़ों के आधार पर अध्ययन किया गया है। इस संदर्भ में अपराध और अपराध के लिए उत्तरदायी भौगोलिक कारकों के लिए विभिन्न समाजशास्त्रियों और भूगोल वेत्ताओं की स्थापनाओं और सिद्धांतों का भी अध्ययन किया गया है। इसके आधार पर यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि समस्या होती है तो उसका समाधान भी ढूंढना ही पडता है। भौतिक भौगोलिक परिस्थितियां (धरातल, जलवायु आदि) तो प्राकृतिक होती हैं, इन्हें तो बदला नहीं जा सकता पर नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपराध और अपराध–प्रवृत्ति पर नियंत्रण भी आवश्यक है। आर्थिक अपराधों की रोकथाम के लिए सुनियोजित नगरीकरण, सुव्यवस्थित औद्योगीकरण पर ध्यान देना होगा। आज समाज में जो आर्थिक असमानता है, इस खाई को इस प्रकार पाटना होगा कि अनुदान और रियायतें पा–पा कर मानव संसाधन निष्क्रिय न हो पाए, उसमें ऐसा कौशल विकसित किया जाए कि वह आत्मनिर्भर हो जाए। भ्रष्टाचार घुन है, समाज के लिए देश के लिए। इसे येन–केन–प्रकारेण समाप्त करना ही होगा। अपराध नियंत्रण के लिए दो प्रयत्न ही करने समीचीन हैं–

पहला, अच्छी शिक्षा। शिक्षा से अच्छे संस्कार पडते हैं, विवेक जाग्रत होता है जिससे किम करणीयम्, किम कर्तव्यम की प्रज्ञा जागती है। इससे काफी हद तक अपराध–नियंत्रण होगा।

दूसरा, चुस्त–दुरूस्त पुलिस प्रबंधन। यह भी जरूरी है। पुलिस ऐसी हो कि आम नागरिक उसे अपना हितकारी माने और अपराधी उससे खौफ खाएं। महिला एवं बालकों के प्रति होने वाले अपराधों के लिए और भी सख्त कानून और भी त्वरित न्याय व्यवस्था की आवश्यकता है। सुखद यह है कि अध्ययन क्षेत्र इंदौर जिले में पिछले पांच सालों में अपराधों में आशातीत कमी आई है। (तालिका 4) पर प्रयत्न अभी और करने हैं, अभी समर शेष है।

संदर्भः–

1- **The Geographical study of Gwalior-Chambal Division (ph.D.Thesis of jiwaji university Gwalior.**
2- **Geography - The American Heritage Dictionary/of the English Language, Fourth Edition. Houghton Mifflin Company. Retrieved October 9, 2006.**
3- **F j monk house, principle of physical geography-Hodder and stoughton london 1960.**
4- **Simmons The Ecology of Nature Resources, Edward Arnold, London 1974**
5- **Studies in Jurisprudence and Legal Theory by Dr. NV Paranjape**
6. अपराध शास्त्र एवं दण्डशास्त्रः संजीव महाजन, हिंदी बुक सेंटर।
7. अपराध शास्त्रः बी एल बाबेल, स्टेट म्युच्युअल बुक एंड पेरिओडिक्ल सर्विस लि. 1988
8. आधुनिक समाज शास्त्रः राजाराम सुधीर देवरे, हिंदी बुक सेंटर।
9. आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तनः एम एन श्रीनिवास, राजकमल प्रकाशन।
10. समाज शास्त्र का परिचय (द्वितीय संस्करण)–डॉ अशोक डी पाटिल एवं डॉ एस एस भदौरिया, म.प्र. हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल।
11. भारत का भूगोलः माजिद हुसैन एवं रमेश सिंह।
12. भौतिक भूगोल–सविंद्र सिंह, प्रयाग पब्लिकेशन, इलाहबाद उ.प्र.
13. कृषि भूगोल–प्रमिला कुमार एवं श्री कमल शर्मा, मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल सन् 2000 ई.।
14. आर्थिक भूगोल के मूल तत्व–वी के श्रीवास्तव, वसुंधरा प्रकाशन, दाउदपुर गोरखपुर।
15. मानव भूगोल मामोरिया एवं सिसोदिया, साहित्य भवन आगरा।
16. मध्यप्रदेश का प्रादेशिक भूगोल–प्रमिला कुमार, म.प्र. हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल।
17. जिला गजेटियर इंदौर सन् 1974
18. देशबंधु संदर्भ मध्यप्रदेश 1997–98
19. जिला सांख्यकीय पुस्तिका इंदौर 2014 एवं 2015, मध्यप्रदेश 1997–98
20. समाचार पत्र नई दुनिया, दैनिक भास्कर, इंदौर, भोपाल संस्करण।
21. विभिन्न बेवसाइटस् से प्राप्त जानकारी।